प्रस्ताव की राज्य कम सं0 FP/UP/ROAD/28804/2017

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

## भाग–II

## (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम सं0 FP/UP/ROAD/28804/2017.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | | परियोजना /स्कीम का स्थान | |
| | (i) | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | उत्तर प्रदेश |
| | (ii) | जिला | मऊ |
| | (iii) | वन प्रभाग | सा0वा0 प्रभाग, मऊ |
| | (iv) | वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे0मे) | 0.6162 हे0 |
| | (v) | वन की कानूनी स्थिति | संरक्षित वन |
| | (vi) | प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणी वार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाय)। सिंचाई /जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ0आर0एल0–4 मीटर भी संलग्न किये जाय। | संलग्न है |
| | (vii) | हरियाली का घनत्व | 0.3 |
| | (viii) | भू–क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदन शीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी। | ये भू–भाग भू–संरखण की दृष्टि से संवेदनशील नहीं है। |
| | (ix) | वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित सील की वन सीमा | प्रस्तावित वनेत्तर प्रयोग की भूमि संरक्षित वन क्षेत्र से लगी है। |
| | (x) | क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव, अभयारण्य, जीवमंडल आदि का भाग है (यदि हो तो क्षेत्र का ब्यौरा तथा मुख्य वन जीव वार्डेन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाय) | नहीं |
| | (xi) | क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणि जाति की दुर्लभ / संकटापन्न / विशिष्ट प्रजातियॉ पायी जाती है यदि हॉ /तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें। | नही |
| | (xii) | क्या कोई सुरक्षित पुरातात्विक / पारम्परिक स्थल / रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थिति है । यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ यदि अपेक्षित हो तो दें। | नहीं |
| 8 | उपभोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग–1 कालम–2 से प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नही तो जांचे गये विकल्प के ब्यौरा के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है। | | हां, प्रस्तावित वन भूमि परियोजना के लिए अपरिहार्य एवं न्यूनतम है। |
| 9 | ,क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवायी रहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं। | | नहीं |
| 10 | प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा | | |
| | (i) | प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अनाधिकृत वनेतर/अवक्रमित वन क्षेत्र आॅस–पास के वन से इसकी दूरी भूखण्डों की संख्या, प्रत्येक भूखण्ड का आकार। | उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी/अधिकृत अधिकारी, भूमि हस्तांतरण के पत्रांक 2382/यूपीडा/619 दिनांक 26.10.2017 के द्वारा अवगत कराया गया है कि संरक्षित भूमि के बदले उसके दो गुने अवनत वन भूमि पर वृक्षारोपण सामाजिक वानिकी प्रभाग, अमेठी के अर्न्तगत कराया जायेगा जिसमें मऊ वन प्रभाग का संरक्षित वन भूमि 0.6162 हे0 भी सम्मल्लित है। प्राप्त उक्त पत्र दिनांक 26.10.2017 की प्रति मय संलग्नक सहित प्रेषित है। |
| | (ii) | प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/ अवक्रमित वन क्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप। | संलग्न है। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | (iii) | रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी के समय अनुसूची लागत ढांचा आदि। | संलग्न है। |
| | (iv) | प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय। | 4302007.00 रू0 |
| | (v) | प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्तान्तरित किया | संलग्न है। |
| 11 | जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें) | | संलग्न है। |
| 12 | विभाग/जिला प्रोफाइल | | |
| | (i) | जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल | 171300 हे0 |
| | (ii) | जिले का वन क्षेत्र | 519.027 हे0 |
| | (iii) | मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया वन क्षेत्र | 8 मामले, 16.488 हे0 |
| | (iv) | 1980 से जिला/ प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण | 21.72 हे0 |
| | | (क) दण्ड के रूप में क्षतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि | 4.61 हे0 |
| | | (ख) वनेत्तर भूमि | 17.11 हे0 |
| | (v) | प्रतिपूरक वनीकरण से हुई प्रगति | |
| | | (क) वन भूमि पर | 4.61 हे0 |
| | | (ख) वनेत्तर भूमि पर | 17.11 हे0 |
| 13 | प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश | | विकास कार्य हेतु आवश्यक न्यूनतम 0.6162 हे0 संरक्षित वनभूमि का प्रयोग वनेत्तर कार्यों, पूर्वान्चल ऐक्प्रेसवे के निर्माण हेतु संस्तुति की जाती है। |

दिनांक : 02.11.2017

स्थान : मऊ

हस्ताक्षर

प्रभागीय निदेशक

सा० वा० वन प्रभाग

सरकारी मोहर मऊ